न्यायालय, सब जज–द्वितीय डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–75/1993

उषा देवी – ....आवेदिका
बनाम्
सुरेश सिंह बगैरह – ....विपक्षीगण

19.10.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद आवेदिका के तरफ से शपथ पत्र के साथ प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–13.05.2024 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का अपने आवेदन पर कहना है कि वर्तमान वाद के विपक्षी सं0–5 देवमुनी देवी जौजे राजनारायण सिंह की मृत्यु दिनांक–25.02.2024 को हो चुकी है। वर्तमान समय में उनके जायज एवं कानूनी वारिस के रूप में उनके पति, पुत्र वधू, दो पुत्र एवं दो पौत्र तथा तीन पुत्रियां मौजूद है। अतः निवेदन है कि विपक्षी सं0–5 देवमुनी देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों राज नारायण सिंह, संग्राम सिंह, मनीष कुमार सिंह, कान्ति देवी, ममता देवी, रागनी देवी, रेणू देवी, सिब्बू एवं धनू सिंह का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी सं0–5 देवमुनी देवी की मृत्यु दिनांक–25.02.2024 को हो चुकी है। आवेदिका द्वारा शपथ पत्र से समर्थित आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदिका की तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत है। विपक्षी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक–13.05.2024 को स्वीकृत किया जाता है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत विपक्षी सं0–5 देवमुनी देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों संग्राम सिंह, मनीष कुमार सिंह, कान्ति देवी, ममता देवी, रागनी देवी, रेणू देवी, सिब्बू एवं धनू सिंह का नाम प्रतिस्थापित करें। वादी अधिवक्ता नोटिस हेतू अपेक्षिकाएं दाखिल करे तत्पश्चात् कार्यालय नोटिस जारी करे।

दिनांक–1611.2024 वास्ते अपेक्षिकाएं दाखिल करे।

लेखापित

सब जज–द्वितीय, डुमरॉव